UPSI180032292025

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद-सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-409/2025

जगदम्बा प्रसाद आदि बनाम श्रीमती सीता देवी आदि।

वाद की प्रकृति	**स्थायी निषेधाज्ञा**
वाद का मूल्यांकन	**1000/-रुपये**
अधिवक्ता का नाम	**श्री अवधशरण वर्मा**
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	**06.12.2025**

यह वाद-पत्र वादीगण द्वारा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अवधशरण वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तद्नुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/दाखिल लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनाँक-07.01.2026 को पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2

वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र 6ग2 मय शपथ-पत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वादीय सहन जिसकी चौहद्दी पूरब-चकमार्ग, पश्चिम-घूरा मनोज, उत्तर-डामर रोड, दक्षिण-खेत प्रतिवादीगण स्थित ग्राम बिचपरी मजरे भेथरा माधौ, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर जबरन कब्जा करने से प्रतिवादीगण को मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची सबूत कागज संख्या-9ग1 से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं पृथक से तीन किता वादीगण के आधार कार्ड की छायाप्रतियाँ क्रमशः कागज संख्या-10ग1 ता 10ग1/3 दाखिल पत्रावली की गयी हैं।

कार्यालय की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना-पत्र 6ग2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनाँक-07.01.2026 हेतु जारी हो। वादीगण आवश्यक पैरवी करें। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनाँक-07.01.2026 को पेश हो।

दिनांकः06.12.2025

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

........(P.T.O)

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2025.12.06 17:31:32 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M., Mahmudabad, Sitapur.

<u>निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8ग2</u>

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8ग2वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना-पत्र 8 ग2 स्वीकार किया जाता है।

वादीगण जरिये **एडवोकेट कमिश्नर** विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करें। एडवोकेट कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि एडवोकेट कमिश्नर की सूची से क्रमानुसार एडवोकेट कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांकः-06.12.2025

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)